**भारत सरकार**
**श्रम और रोजगार मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1789**
**सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)**

**पीएम श्रम योगी मान-धन योजना**

**1789. श्री ए.राजा:**
**श्री अ.मनि:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना के अंतर्गत असंगठित कामगारों का नामांकन अपेक्षा से कम रहा है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नामांकन कम होने के क्या कारण हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु, विशेषकर धर्मपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत नामांकित किए गए कामगारों की कुल संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**
**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) से (ग): प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम-एसवाईएम) योजना की शुरुआत फरवरी, 2019 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने हेतु की गई। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 3000/- रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। 18-40 वर्ष की आयु के कामगार, जिनकी मासिक आय 15,000/- रुपये या उससे कम होती है तथा जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्तपोषित)/पीएम-एसवाईएम के सदस्य या आयकर दाता नहीं हैं, इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। मासिक अंशदान की राशि 55/- रुपये से लेकर 200/- रुपये तक होती है, जो लाभार्थी की प्रवेश आयु पर निर्भर करती है। इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थी द्वारा 50% मासिक अंशदान देय है तथा केन्द्र सरकार द्वारा भी समान अंशदान का भुगतान किया जाता है। इस योजना में नामांकन, सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पात्र असंगठित कामगार www.maandhan.in. पोर्टल पर जाकर स्वयं भी नामांकन कर सकते हैं।

पीएम-एसवाईएम एक अंशदायी योजना है, जिसमें लाभार्थी से दीर्घकालिक वित्तीय प्रतिबद्धता अपेक्षित होती है तथा यह असंगठित क्षेत्र की प्रकृति से प्रभावित होती है।

जारी/...2

पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु और जिला धर्मपुरी में पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत नामांकित कामगारों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

| वर्ष | तमिलनाडु में नामांकन | धर्मपुरी (जिला) में नामांकन |
|---|---|---|
| 2022-23 | 6426 | 77 |
| 2023-24 | 1904 | 09 |
| 2024-25 (दिनांक 04.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार) | 1271 | 14 |

****